सत्यमेव जयते	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Prayagraj	Dedicated to Truth in Public Interest

का0आ0 संख्या:-ए0ई0-2/03/नि०वि०-2/17277 दिनांक :- 15/07/2025

कार्यालय आदेश

श्री संदीप कुमार, खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1416 ने इस कार्यालय में खंडीय लेखाकार (परि0) के पद पर दिनांक 16.11.2015 को कार्यभार ग्रहण किया था। इस कार्यालय में नियुक्ति से पूर्व वे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सा0 एवं सा0क्षे0ले0प0), आंध्रा प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद में दिनांक 14-11-2013 से 10-11-2015 तक ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। उक्त कार्यालय से परिवीक्षाधीन अवधि में ही तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत होने के उपरान्त उन्होने दिनांक 10/11/2015 को कार्यमुक्त होकर इस कार्यालय में खंडीय लेखाकार (परि0) के पद पर दिनांक 16/11/2015 को कार्यभार ग्रहण किया था ।

श्री संदीप कुमार के अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा त्रुटिवश कार्यालय आदेश पत्रांक नि0वि0-2/03/6790 दिनांक 16.02.2017 द्वारा श्री कुमार को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था जबकि श्री संदीप कुमार को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सा0 एवं सा0क्षे0ले0प0), आंध्रा प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद से तकनीकी त्यागपत्र के आधार पर कार्यमुक्त करते समय ऑडिटर के पद पर धारणाधिकार (lien) प्रदान नहीं किया गया था। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकयात एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ़. संख्या 12/2/2017-स्था.(वेतन-1) दिनांक 05-08-2020 के प्रस्तर 4 के अनुसार F.R. 22 –B (1) के अंतर्गत वेतन संरक्षण का लाभ शासकीय कर्मचारी को तभी उपलब्ध होगा जब वह अपने पिछले स्थायी पद पर धारणाधिकार (lien) रखता है। श्री संदीप कुमार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सा0 एवं सा0क्षे0ले0प0), आंध्रा प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद में ऑडिटर के पद पर न तो स्थायी घोषित किए गए थे और न ही कार्यमुक्त होते समय उन्हे ऑडिटर के पद पर धारणाधिकार प्राप्त था।

अतः एतदद्वारा, श्री संदीप कुमार, खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1416 के वेतन संरक्षण के संबंध मे पूर्व मे इस कार्यालय द्वारा निर्गत उक्त कार्यालय आदेश पत्रांक-नि0वि0-2/03/6790 दिनांक 16-02-2017 को निरस्त किया जाता है।

Digitally signed by
Rajendra Prasad
Date: 15-07-2025
12:46:25

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

O/C

पत्रांक:-ए0ई0-2/03/नि०वि०-2/17281, 17283, 17284

तददिनांक —

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

AGDy No -14

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खंड, सहारनपुर-247001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रविष्टि श्री संदीप कुमार, खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1416 की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार वेतन भी संशोधित करना सुनिश्चित करें ।

2. श्री संदीप कुमार, खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1416, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खंड, सहारनपुर -247001

3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर -247001

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR RAWAT
Date: 15-07-2025
15:31:59

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-II

304

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक : नि0वि0–2/03/6790 दिनांक : 16-02-2017

कार्यालय आदेश

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली का परिपत्र संख्या–15, स्टाफ विंग/2014 के साथ पत्र सं0–62–स्टाफ (इन्ट–1)/90–2014, दिनांक 31.03.2014 के परिप्रेक्ष्य में श्री सन्दीप कुमार (व्यक्तिगत संख्या–1416), खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) का वेतन संरक्षित किया जाता है। श्री सन्दीप कुमार पूर्व विभाग में कार्यमुक्त की तिथि 10.11.2015 को वेतन बैण्ड रू 5200–20200 के अन्तर्गत बैण्ड वेतन रू 10590/ तथा ग्रेड वेतन रू 2800/ प्राप्त कर रहे थे। तद्नुसार इस कार्यालय में नियुक्ति तिथि 16.11.2015 से उनका वेतन निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्रम सं0	दिनांक	वेतन बैण्ड	बैण्ड वेतन (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	वेतन (रू0)
1.	16.11.2015 से 31.12.2015 तक,	रू0, 9300–34800,	10590=00,	4200=00,	14790=00
2.	01.01.2016 से 30.06.2016 तक,	(वेतन मैट्रिक्स के लेवल छ के अन्तर्गत)			38700=00
3.	01.07.2016				39900.00
4.	01.07.2017–अगली वेतन वृद्धि तिथि।				

श्री सन्दीप कुमार द्वारा कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक, पोस्ट आफिसेस, सहारनपुर में दिनांक 23.10.2006 से 07.11.2013 तक डाक सहायक के पद पर की गई सेवा, दिनांक 08.11.2013 से 13.11.2013 तक की कार्यभार ग्रहण काल तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) आन्ध्र प्रदेश एवं तेलगाना, हैदराबाद, में दिनांक 14.11.2013 (पू0) से दिनांक 10.11.2015 तक लेखापरीक्षक के पद पर की गयी सेवा को तथा दिनांक 11.11.2015 से 15.11.2015 तक सेवा में व्यवधान की अवधि को सी0सी0एस0 ज्वाइनिंग टाईम रूल्स–1979 के नियम 4 (4) के साथ 5 (4) के अन्तर्गत 5 दिनों का कार्यग्रहण काल (बिना वेतन के) स्वीकृत करते हुए सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 26 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान सेवा में जोड़ा जाता हैं।

उप महालेखाकार/निर्माण

दिनांक :

पत्रांक : नि0वि0–2/03/6791 to 6794

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एन0), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 124001।
2. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सहारनपुर 247001।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर 247001।
4. श्री सन्दीप कुमार, खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0)–द्वितीय, उ0प्र0, स्थानीय।

लेखाधिकारी/नि0वि0–2